भाग- 1

क

न्यायालयः विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.प्रकरण, पाली (राज.)
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली, राज.)

पीठासीन अधिकारी	**शरद तँवर,** R.J.S (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
निर्णय दिनांक	**18.07.2026**
प्रकरण संख्या	**सेशन प्रकरण संख्या 232/2018** **राज. राज्य बनाम इरफान व इमरान**
CNR No.	RJPL010021442018
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	**305 वर्ष 2018**
पुलिस थाना	**कोतवाली पाली (राज.)**
अपराध का विवरण	**धारा- 8/20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985**
परिवादी	**राजस्थान राज्य**
प्रस्तुतकर्ता	**श्री निखिल व्यास** अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से
अभियुक्त का नाम व पता	1. **इरफान उर्फ राजा** पुत्र सलीम, उम्र-28 वर्ष, निवासी- मस्तान बाबा, पुलिस थाना- कोतवाली, पाली (राज.) 2. **इमरान** पुत्र सलीम, उम्र-38 वर्ष, निवासी- मस्तान बाबा, पुलिस थाना कोतवाली, पाली (राज.)
अधिवक्ता अभियुक्तगण	**श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित**

ख

अपराध की दिनांक	23.06.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	23.06.2018

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	26.10.2018
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	05.08.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	25.11.2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	18.07.2026
निर्णय दिनांक	18.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	18.07.2026

ग

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त का क्रमांक	1
अभियुक्त का नाम	**इरफान उर्फ राजा**
गिरफतारी की दिनांक	23.06.2018
जमानत पर रिहा होने की दिनांक	24.09.2018
अपराध अंतर्गत धारा	8/20 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	दोषसिद्ध
पारित दण्डादेश	**03 (तीन) वर्ष 06 (छह) माह का कठोर कारावास एवं 30,000/-(अक्षरे तीस हजार रूपये) अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 03 (तीन) माह का कठोर कारावास**
विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि	1. पुलिस अभिरक्षा दिनांक 23.06.2018 से 26.06.2018= 03 दिन 2. न्यायिक अभिरक्षा दिनांक 26.06.2018 से 24.09.2018= 03 माह

अभियुक्त का क्रमांक	2
अभियुक्त का नाम	**इमरान**

गिरफतारी की दिनांक	23.06.2018
जमानत पर रिहा होने की दिनांक	22.11.2018
अपराध अंतर्गत धारा	8/20 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	दोषसिद्ध
पारित दण्डादेश	**03 (तीन) वर्ष 06 (छह) माह का कठोर कारावास एवं 30,000/-(अक्षरे तीस हजार रूपये) अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 03 (तीन) माह का कठोर कारावास**
विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि	1. पुलिस अभिरक्षा दिनांक 23.06.2018 से 26.06.2018 = 03 दिन 2. न्यायिक अभिरक्षा दिनांक 26.06.2018 से 22.11.2018 = 04 माह 26 दिन

<u>भाग- 2</u>

(क) अभियोजन गवाहान

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
पी.डब्ल्यू. 1	नरपतलाल	स्वतंत्र मौतबीर
पी.डब्ल्यू. 2	राजकुमार	सेम्पल एफएसएल ले जाना
पी.डब्ल्यू. 3	दिनेश कुमार	एफएसएल हेतु अग्रेषण प़त्र तैयार करना
पी.डब्ल्यू. 4	जयसिंह	मौतबीर तलबी
पी.डब्ल्यू. 5	जितेन्द्र	धारा 42 व 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना उच्चाधिकारियों को देने जाना
पी.डब्ल्यू. 6	गंगाराम	ताईद एफआईआर व नतीजा चार्जशीट

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

पी.डब्ल्यू. 7	खेतसिंह	मालखाना इंचार्ज
पी.डब्ल्यू. 8	राजेन्द्र कुमार	मौक तस्दीक
पी.डब्ल्यू. 9	पुखसिंह	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू. 10	मोहम्मद याकूब	स्वतंत्र मौतबीर
पी.डब्ल्यू. 11	बलवंताराम	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू. 12	कंवरलाल	मौका तस्दीक
पी.डब्ल्यू. 13	बुद्धाराम	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 14	रविन्द्रसिंह	इन्वेट्री कार्यवाही

(ख) बचाव गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
-	-	-

(ग) न्यायालय गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
-	-	-

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शो की सूची

(क) अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श संख्या	विवरण
प्रदर्श पी 1	फर्द तलबी मौतबीरान
प्रदर्श पी 2	नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट इमरान
प्रदर्श पी 3	नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट इरफान
प्रदर्श पी 4	फर्द बरामदगी

प्रदर्श पी 5	फर्द वजुहात गिरफतारी इरफान
प्रदर्श पी 6	फर्द वजुहात गिरफतारी इमरान
प्रदर्श पी 7	फर्द गिरफतारी इरफान
प्रदर्श पी 8	फर्द गिरफतारी इमरान
प्रदर्श पी 9	नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की प्रति इरफान
प्रदर्श पी 10	नोटिस धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की प्रति इमरान
प्रदर्श पी 11	फर्द नक्शा मौका
प्रदर्श पी 12	पुलिस बयान नरपतलाल
प्रदर्श पी 13	रोड सर्टिफिकेट
प्रदर्श पी 14	एफएसएल जाँच हेतु एसएचओ का पत्र
प्रदर्श पी 15	एफएसएल जाँच हेतु एसपी का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी 16	एफएसएल जोधपुर की प्राप्ति रसीद
प्रदर्श पी 17	फर्द री-सीलिंग माल
प्रदर्श पी 18	धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की सूचना की प्राप्ति रसीद
प्रदर्श पी 19	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना की प्राप्ति रसीद
प्रदर्श पी 20	फर्द सूचना मुखबिर
प्रदर्श पी 21	सूचना अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी 22 से 25	रोजनामचा रपटे
प्रदर्श पी 26	फर्द नमूना व नष्टीकरण सील
प्रदर्श पी 27	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी 28	रोजनामचा रपट
प्रदर्श पी 29	फर्द सुपुर्दगी माल अन्तर्गत धारा 55 एनडीपीएस एक्ट
प्रदर्श पी 30 व 31	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी 32 से 36	रोजनामचा रपटे
प्रदर्श पी 37	मालखाना रजिस्टर
प्रदर्श पी 38	एफएसएल रिपोर्ट

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

प्रदर्श पी 39	रोजनामचा रपट
प्रदर्श पी 40	फर्द मौका तस्दीक (गांजा खरीद स्थल)
प्रदर्श पी 41	पुलिस बयान मोहम्मद याकूब
प्रदर्श पी 41	फर्द सूचना इरफान
प्रदर्श पी 42	फर्द सूचना इमरान
प्रदर्श पी 43	इन्वेंट्री सत्यापन रिपोर्ट

(ख) बचाव प्रदर्श

प्रदर्श नंबर	विवरण
-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
-	-	-

(घ) भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
1	आर्टिकल 1	नमूना सेम्पल मार्क S
2	आर्टिकल 2	नमूना सेम्पल मार्क S1
3	आर्टिकन 3	कन्ट्रोल सेम्पल मार्क C
4	आर्टिकल 4	कन्ट्रोल सेम्पल मार्क C1
5	आर्टिकल 5	पैकेट मार्क A
6	आटिकल 6	पैकेट मार्क A 1

निर्णय **दिनांक 18.07.2026**

1. **थानाधिकारी, पुलिस थाना- कोतवाली, पाली** की ओर से हस्तगत प्रकरण में **अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान** के विरूद्ध **धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** (जिसे कि आगे एन.डी.पी.एस. एक्ट के नाम से सम्बोधित किया जाएगा) में आरोप पत्र, श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण अन्तरित होकर इस न्यायालय को विधि अनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ।

2. अभियोजन मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.06.2018 को समय 2.50 पीएम पर पुलिस थाना कोतवाली, पाली पर उपस्थित खास मुख़बिर ने थानाधिकारी गंगाराम को इतिला दी कि- "इरफान उर्फ राजा निवासी मस्तान बाबा के पीछे पेट्रोल पंप के पास वाली गली पाली, अपने घर पर अवैध गांजा रखता है एवं बेचता है, तुरन्त तलाशी ली जावे तो इरफान उर्फ राजा के घर पर अवैध गांजा बरामद हो सकता है।'' उक्त इतिला की रपट रोजानामचा आम में अंकित कर धारा 42 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत फर्द इतिला मुर्तिब की। इतिला की सूचना सी.ओ. शहर पाली व एस.पी. पाली को देने हेतु तैयार कर कानि. जितेन्द्र को सुपुर्द कर थाना से रवाना किया। कानि. जयसिंह को स्वतंत्र मौतबिरान की तलबी कर मस्तान बाबा पाली पहुंचने की हिदायत कर तहरीर देकर रवाना किया। समय 3.13 पी.एम. पर थानाधिकारी कोतवाली गंगाराम मय जाब्ता कानि. बलवंताराम, भवानीसिंह, पुखसिंह, राजकुमार, महिपाल, सरकारी जीप व चालक राजेन्द्र, अनुसंधान बॉक्स मय ड्रेगन लाईट, लैपटॉप, प्रिन्टर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, इन्वर्टर के थाना कोतवाली पाली से रवाना होकर समय 3.20 पीएम पर मस्तान बाबा तिराहे पर पहुँचा। कानि. जयसिंह दो स्वतंत्र मौतबिरान मोहम्मद याकूब व नरपतसिंह के मस्तान बाबा तिराहे पर उपस्थित आया जिस पर दोनों स्वतंत्र मौतबिरान को मुखबिर से प्राप्त इतिला से अवगत करवाया जाकर मौतबिर रहने हेतु पृथक पृथक फर्दात पर लिखित में सहमति प्राप्त की गयी।

3. तत्पश्चात समय 3.50 पीएम पर मस्तान बाबा तिराहे से रवाना होकर मस्तान बाबा स्थित पेट्रोल पम्प से पहले गली में प्रवेश कर मुखबिर इतिलानुसार इरफान उर्फ राजा के घर से थोडा पहले पहुँचे तो इरफान उर्फ

राजा के घर के बाहर बैठे जवान उम्र के दो लडके पुलिस जीप देखकर तुरन्त भागकर घर के अंदर जाकर दोनों हाथ में दो बैग लेकर बांडी नदी की तरफ भागने लगे। जाब्ता में से कानि. जयसिंह ने बताया कि ये दोनों भागने वालों में एक इरफान और दूसरा उसका भाई इमरान है। पीछा कर उक्त दोनों को उनके घर के थोडा आगे दस्तयाब कर नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम इरफान उर्फ राजा व दूसरे ने अपना नाम इमरान बताया जिन्हें मुखबिर इतिला से अवगत कराया जाकर धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों अनुसार अधिकारों से सूचित किया जिस पर दोनों ने पृथक पृथक बताया कि वे अपनी तलाशी किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं लिरवाना चाहते है एवं थानाधिकारी कोतवाली पाली गंगाराम से तलाशी लिरवाना चाहते है। इरफान उर्फ राजा की तलाशी ली तो उसके कब्जे वाले खाकी रंग के थैले में एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में अवैध गांजा भरा मिला। अनुज्ञा पत्र व परमिट के संबंध में पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया। उक्त अवैध गांजा कहां से लाने के बारे में पूछा तो अपने भाई इमरान द्वारा लाना बताया। इलेक्ट्रॉनिक कांटा से वजन किया तो पॉलिथिन थैली सहित **01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा** हुआ जिसमें से 500-500 ग्राम नमूना व कन्ट्रोल सेम्पल निकालकर दोनों को अलग अलग सफेद कपड़े की थैलियों में डालकर सीलचेपा कर नमूना सेम्पल पर मार्क S व कन्ट्रोल सेम्पल पर मार्क C अंकित किया तथा शेच बचा हुआ गांजा को उसी थैले में रखकर थैले को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचेपा कर मार्क A अंकित किया गया।

4. तत्पश्चात इमरान की तलाशी ली तो इमरान के पास काले रंग के थैले में एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में अवैध गांजा भरा मिला जिसके अनुज्ञा पत्र व परमिट के संबंध में पूछा तो अपने पास नहीं होना बताया। उक्त अवैध गांजा कहां से लाने के बारे में पूछा तो जोधपुर से खरीदकर लाना बताया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से अवैध गांजा का वजन पॉलिथिन सहित 04 किलो 200 ग्राम हुआ जिस पर **04 किलो 200 ग्राम गांजा** में से 500-500 ग्राम नमूना व कन्ट्रोल सेम्पल निकालकर दोनों को अलग अलग सफेद कपड़े की थैलियों में डालकर सील चेपा कर नमूना सेम्पल पर मार्क S1 व कन्ट्रोल सेम्पल पर मार्क C1 अंकित किया तथा शेष बचा हुआ गांजा को उसी थैले में रखकर थैले को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चेपा कर मार्क A1 अंकित किया गया। उक्त सभी नमूनों एवं शेष माल के थैलों पर GRK लिखी इबारत की गोल मोहर से सील चेपा किया गया। इरफान उर्फ राजा व इमरान

को गिरफतार कर बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी मुर्तिब किया जाकर माल को सील करने की प्रति का फर्द नमूना सील व फर्द नष्टीकरण सील अलग से मुर्तिब की गई। मौके पर टाईपशुदा मुर्तिबा फर्दे मुलजिम इरफान उर्फ राजा के घर के बाहर लगे इलेक्ट्रीक बोर्ड में प्लग से लेपटॉप को जोडकर लेपटॉप में टाईप कर प्रिन्टर से प्रिन्ट निकाली गयी। बाद कार्यवाही के मौतबिरान को रूखसत कर थानाधिकारी मय जाब्ता मय गिरफ्तारशुदा मुलजिमान, बरामदा पैकेट के थाना पहुंचा। बरामदा पैकेटो को थाना कोतवाली पाली की सील से रिसील किया व फर्द नमूना रिसील मुर्तिब की जाकर जमा मालखाना करवाया गया। प्रकरण सं. **305 तारीख 23.06.2018** धारा **8/20 एनडीपीएस एक्ट** में दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली द्वारा प्रारम्भ किया गया।

5. दौराने अनुसंधान गवाहान से तफतीश कर बयान लिये गये, मुलजिमान इरफान उर्फ राजा व इमरान की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतिलानुसार अवैध गांजा खरीदने के स्थान की मौका तस्दीक कार्यवाही की जाकर फर्द मौका तस्दीक मुर्तिब की गई। अवैध गांजा सप्लायर संजू नाम के व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला। धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। नमूना सेम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर जमा करवाया जाकर लिंक गवहाान दिनेश के बयान लिये गये। एफएसएल प्राप्ति रसीद मय कागजात, मालखाना रजिस्टर, जावक रजिस्टर व धारा 42 एनडीपीएस एक्ट संबंधी अधिसूचना की फोटो प्रति शामिल पत्रावली की गई। सम्पूर्ण अनुसंधान से **अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान** के विरूद्ध **धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** प्रमाणित पाया गया। तदनुसार नतीजा चार्जशीट न्यायालय में पेश की गयी।

6. बहस चार्ज उभय पक्षीय सुनी जाकर **अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान** के विरूद्ध **धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट** का अपराध बनना पाये जाने से अभियुक्तगण को तदनुसार आरोप विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में 14 गवाहान परीक्षित हुए। दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 43 दस्तावेज तथा भौतिक वस्तुओं में आर्टिकल 1 से 6 वस्तुए प्रदर्शित करवाए गए जिनका विस्तृत विवरण इस निर्णय के शीर्षक के भाग द्वितीय की तालिका में वर्णित है।

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

8. अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुई आपराधिक परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण के अभिकथन **धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के तहत लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य गलत होना, स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना कथन किया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

9. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

10. बहस के दौरान विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से तर्क किया गया कि अभिलेख पर लाई गई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध समुचित रूप से प्रमाणित होते है। अतः अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

11. बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत अंतिम बहस प्रस्तुत की गई जिसमें सारभूत रूप से यह तर्क किए गए हैं कि प्रकरण में कथित अवैध मादक पदार्थ की अभियुक्तगण से बरामदगी किये जाने के संबंध में स्वयं जब्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य में गंभीर विसंगतियां है। स्वतंत्र गवाह पूर्णतया पक्षद्रोही रहे हैं। इसके अलावा जब्तीकर्ता अधिकारी के हमराह जाब्ते के सदस्य, चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य भी अभियोजन कहानी से गंभीर रूप से विरोधाभासी है। दूसरी ओर उक्त मादक पदार्थ की इन्वेन्ट्री का सत्यापन भी लगभग पांच वर्ष देरी से कराया गया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिनिधिक सेम्पल लेकर एफएसएल जांच हेतु नहीं भिजवाया गया है, अतः प्रकरण में प्रस्तुत हुई एफएसएल रिपोर्ट से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता है। अंततः बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया कि प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की सम्यक रूप से पालना नहीं की गयी है, इस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध न तो कोई उपधारणा उत्पन्न होती है और न ही कोई अपराध प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

12. **न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1. क्या दिनांक 23.06.2018 को दोपहर करीब 03.52 पीएम पर पाली में मस्तान बाबा के पीछे पेट्रोल पंप के पास वाली गली

में स्थित अभियुक्त इरफान उर्फ राजा के रहवासी मकान पर पहुंचने पर अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा एवं इमरान पुलिस को देखकर बैग लेकर बाण्डी नदी की तरफ भागे जिन्हें दस्तयाब कर तलाशी लेने पर इरफान उर्फ राजा के कब्जे से बैग में 01 किलो 600 ग्राम तथा अभियुक्त इमरान के कब्जे से बैग में 04 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ जिसके संबंध में अभियुक्तगण के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र/परमिट नहीं था। इस प्रकार **अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** का दंडनीय अपराध किया।

2. यदि हां, तो दण्ड की समुचित मात्रा क्या होगी?

13. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लायी गयी साक्ष्य सामग्री का अध्ययन करने पर प्रकट होता है कि प्रकरण में **सबसे प्रमुख गवाह उक्त अवैध मादक पदार्थ की जब्ती करने वाला थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, पाली गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6** है। इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि दिनांक 23.06.2018 को मुखबिर खास ने थाने पर उपस्थित होकर उसे इतिला दी कि इरफान उर्फ राजा निवासी मस्तान बाबा के पीछे पेट्रोल पंप के पास वाली गली पाली जो अपने मकान पर अवैध गांजा रखता है व बेचता है, अगर तुरन्त तलाशी ली जाये तो इरफान के घर से अवैध गांजा बरामद हो सकता है। इतिला की फर्द प्रदर्श पी 20 तैयार कर सी. ओ. पाली व एस पी पाली को देने हेतु कानि. जितेन्द्र को रवाना किया। उक्त पत्र प्रदर्श पी 21 है जिसकी सी. ओ. की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 18, सूचना की रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 22, रवानगी रपट प्रदर्श पी 23, 24 व 25 है। कानि. जयसिंह को दी गयी स्वतंत्र मौतबिर लाने की तहरीर प्रदर्श पी 1 है। तत्पश्चात वह मय जाब्ता सरकारी, वाहन व चालक मय अनुसंधान बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, लैपटॉप, प्रिन्टर, इन्वर्टर मस्तान बाबा तिराहे पहुंचे। थोडी देर बाद जयसिंह स्वतंत्र मौतबिर मोहम्मद याकूब व नरपतलाल को लेकर पहुंचा जिनको इतिला से अवगत करवाकर लिखित में सहमति प्राप्त की एवं वहां से रवाना होकर पेट्रोल पंप के पास वाली गली में पहुंचे तो मुखबिर की इतिलानुसार पुलिस जीप को देखकर इरफान के घर के बाहर बैठे जवान उम्र के दो लडके तुरन्त भागकर घर के अंदर गये तथा तुरन्त एक एक बैग लेकर बाहर आये और बांडी नदी की तरफ भागने लगे जिनका उसने व जाब्ता ने पीछा कर दस्तयाब कर नाम

पता पूछा तो एक ने अपना नाम इरफान उर्फ राजा व दूसरे इमरान होना बताया।

14. इरफान व इमरान को मुखबिर इतिला से अवगत कराकर उनको पृथक पृथक धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी 3 व 2 देकर जवाब प्राप्त किया। इरफान व इमरान ने अपनी व अपने कब्जेशुदा बैग की तलाशी गवाह गंगाराम से लिरवाने में सहमति जाहिर की। इरफान की तलाशी लेने पर उसके कब्जे वाले खाकी रंग के थैले में से एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली सहित 01 किलो 600 ग्राम व इमरान की तलाशी लेने पर उसके कब्जेशुदा काले रंग के थैले में रखी पॉलिथिन थैली सहित कुल 04 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ जिनके संबंध में दोनो ने लाइसेंस व अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया।

15. जब्ती अधिकारी थानाधिकारी गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6 ने आगे यह बताया है कि इरफान से बरामद अवैध गांजा में से 500-500 ग्राम नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल के लिए निकालकर नमूना सेम्पल पर मार्क S, कन्ट्रोल सेम्पल पर मार्क C व शेष गांजा को उसी थैली में डालकर मार्क A अंकित किया। इसी प्रकार इमरान से बरामद अवैध गांजा में 500-500 ग्राम नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल के लिए निकालकर नमूना सेम्पल पर मार्क S-1, कन्ट्रोल सेम्पल पर मार्क C-1 व शेष गांजा को उसी थैली में डालकर मार्क A-1 अंकित किया। इरफान व इमरान को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के आधार बताकर फर्द वजुआत गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 5 व 6 पृथक पृथक तैयार कर क्रमशः जरिये फर्द प्रदर्श 7 व 8 गिरफ्तार किया गया व मौके पर ही इरफान के घर के बाहर लगे विद्युत प्लग से लैपटॉप व प्रिन्टर को जोडकर टाइप कर प्रिन्ट निकालकर सभी फर्दो पर नमूना सील अंकित किये। फर्द नमूना सील व नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 26 तैयार की। इरफान व इमरान को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत दिये गये नोटिस की प्रति क्रमशः प्रदर्श पी 9 व 10 है, उसने मौके पर जब्ती के बाद नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 11 बनाया। बाद मौके की कार्यवाही जब्तसुदा आर्टिकल व गिरफ्तारशुदा मुलजिमान को लेकर थाने पहुंचे व प्रकरण संख्या 305/18 दर्ज कराया।

16. जब्ती अधिकारी थानाधिकारी गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6 ने अपनी मुख्य परीक्षा के अंत में चाक एफआईआर प्रदर्श पी 27, वापसी की रोजनामचा

रपट प्रदर्श पी 26, फर्द सुपुदर्गी आर्टिकल्स प्रदर्श पी 29, धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदर्श पी 30 व 31, कानि. जितेन्द्र की धारा 57 एनडीपीएस की रिपोर्ट पेश करने हेतु रवानगी व वापसी की रोजनामचा रपट क्रमशः प्रदर्श पी 32 व 3, नकल रपट प्रदर्श पी 34, कानि. राजकुमार की एफएसएल हेतु रवानगी व वापसी की रपट क्रमशः प्रदर्श पी 35 व 36, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 37, रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 13, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 14, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 16, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 38, रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 39 व नमूना सेम्पल मार्क S आर्टिकल 1, नमूना सेम्पल मार्क S-1 आर्टिकल 2, कन्ट्रोल सेम्पल मार्क C आर्टिकल 3, कन्ट्रोल सेम्पल मार्क C-1 आर्टिकल 4, पैकेट मार्क A व पैकेट मार्क A-1 के रूप में प्रदर्शित कराये हैं।

17. जब्तीकर्ता थानाधिकारी गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6 द्वारा जिरह में किये गये निम्नलिखित कथनों पर बचाव पक्ष द्वारा अपनी बहस के दौरान विशेष जोर दिया गया है- गवाह ने स्वीकार किया कि उसने बिना एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हुए चालान न्यायालय में पेश किया था तथा इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसके पास गांजा पहचानने की डिटेक्शन किट नहीं हो व मालखाने की थैली सफेद रंग की नहीं हो। अजखुद कहा कि गुगला सफेद रंग की है, सम्पूर्ण जब्तसुदा माल मौके पर ही मुलजिम के घर के बाहर तोला गया था। इलेक्ट्रॉनिक कांटा थाने से लेकर गया था जो कांटा थाने के मालखाने में रखा होता है। जब्तीकर्ता अधिकारी ने स्वीकार किया कि इस कार्यवाही की सूचना उसने पटवार हल्का, तहसीलदार तथा उपखण्ड अधिकारी को नहीं दी थी, अजखुद कहा कि समय व्यतीत होने पर अवैध गांजा खुर्द-बुर्द होने की पूर्ण संभावना थी, बिना किसी को सूचना दिये मौके पर पहुंचे थे। घटना स्थल के आस पास सीसीटीव कैमरे नहीं थे। पेट्रोल पम्प पर कैमरे लगे हुए हो तो उसे जानकारी नहीं है। इस सुझावों को अस्वीकार किया कि उसने धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की पालना नहीं की हो तथा मुलजिमान के अनपढ़ होने के कारण कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी उन्हें नहीं दी गयी हो एवं खाली कागज पर उनके हस्ताक्षर करवाये हो। आगे गवाह ने इन सुझावों को स्वीकार किया कि मुलजिमान अनपढ़ व्यक्ति थे, जब्ती के समय उसने मुलजिमान के मकान के मालिकाना हक बाबत रिकार्ड प्राप्त नहीं किया था। मुलजिमान को उसने घर के बाहर से गिरफ्तार किया था। अंत में इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसने मुलजिमानों से कोई गांजा बरामद नहीं किया हो एवं मुलजिमानों के

विरूद्ध झूठी कार्यवाही की हो।

18. जब्तीकर्ता थानाधिकारी गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6 द्वारा की गयी उपरोक्त मौका कार्यवाही को प्रमाणित कराने हेतु **स्वतंत्र मौतबिर के रूप में गवाह नरपतलाल पी.डब्ल्यू. 1 व मोहम्मद याकूब पी.डब्ल्यू. 10 न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं।** उक्त दोनों ही गवाह पक्षद्रोही रहे हैं। **मौतबिर नरपतलाल पी.डब्ल्यू. 1** की साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि वह फर्द प्रदर्श पी 1 लगायत 11 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है, परन्तु ये हस्ताक्षर थाने में करवाये जाना बताता है और विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर अपने सामने मुलजिमान इरफान व इमरान से पुलिस द्वारा गांजा बरामद करने एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 का सुसंगत भाग लिखाये जाने से इंकार करता है। इस गवाह ने अभियुक्त के अधिवक्ता की जिरह में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके हस्ताक्षर पुलिस वालों ने थाने में करवाए थे, उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी तथा उसने पुलिस वालों के डर से उनके कहे अनुसार हस्ताक्षर किए थे।

19. **मौतबिर मोहम्मद याकूब पी.डब्ल्यू. 10** की साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि इस गवाह ने भी फर्द प्रदर्श पी 1 लगायत 11 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, परन्तु ये हस्ताक्षर पुलिस थाने में करवाये जाना बताता है और विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है कि पुलिस वालों ने उसके बयान नहीं लिये, ना ही कोई पूछताछ की तथा न ही उसे कार्यवाही हेतु कंही लेकर गये। पुलिस वालों को मुलजिमान से गांजा बरामद करते उसने नहीं देखा। गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 41 का सुसंगत भाग लिखाने से इंकार करता है।

20. प्रकरण में उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान के अलावा घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत हुए पुलिस जाप्ते के सदस्य **कांस्टेबल राजकुमार पी.डब्लयू. 2, कांस्टेबल जयसिंह पी.डब्ल्यू. 4, कांस्टेबल पुखसिंह पी.डब्ल्यू. 9 व कांस्टेबल बलवंताराम पी.डब्ल्यू. 11** की साक्ष्य का अध्ययन किया जाये तो प्रकट होता है कि उक्त चारों गवाहान ने अपनी अपनी मुख्य परीक्षा में जब्तीकर्ता थानाधिकारी गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6 की मुख्य परीक्षा साक्ष्य एवं अभियोजन कहानी की पुष्टि में हूबहू कथन किये हैं, इन गवाहों से की गयी जिरह में उजागर हुए निम्नलिखित कथनों पर, बचाव पक्ष द्वारा अपनी बहस में विशेष जोर दिया गया है:-

21. **गवाह कांस्टेबल राजकुमार पी.डब्ल्यू. 2** ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटनास्थल पाली-सुमेरपुर रोड से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर अंदर की तरफ है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा वे साथ लेकर गये थे। कांटा किस कंपनी का था तथा उसकी क्षमता क्या थी? उसे याद नहीं है। कार्यवाही में प्रयुक्त सील थाने से साथ लेकर गए थे। सील थाने में अनुसंधान बॉक्स में रहती है। अनुसंधान बॉक्स अनुसंधान अधिकारी के पास रहता है तथा जमा मालखाना रहता है। मालखाना इंचार्ज से अनुसंधान बॉक्स लिया था तथा उसकी प्राप्ति मालखाना इंचार्ज को दी हो तो उसे जानकारी नहीं है।

22. **गवाह कांस्टेबल जयसिंह पी.डब्ल्यू. 4** ने अपनी जिरह में कथन किया है कि सुमेरपुर रोड से घटना स्थल करीब 40-50 मीटर की दूरी पर है। मुलजिमान को पकडकर लाए थे तब उनके हाथ में बैग था जो काले रंग का था। गवाह ने स्वीकार किया कि मौके पर गांजे की ड्रग डिटेक्शन किट से जाँच नहीं की थी। अनुसंधान बॉक्स मालखाने में जमा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनुसंधान बॉक्स में था, कौन लेकर आया था तथा कांटे पर क्या मार्का था याद नहीं है। कांटा चोकोर था तथा उसकी क्षमता 10 किलो तक वजन करने की थी। थाने में वे कांटा नहीं रखते है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 की कार्यवाही उसके सामने हुई थी या नहीं याद नहीं है।

23. **गवाह कांस्टेबल पुखसिंह पी.डब्ल्यू. 9** ने अपनी जिरह में कथन किया है कि अनुसंधान बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान होता है, उसे याद नहीं है। अनुसंधान के दौरान ड्रग डिटेक्शन किट साथ में नहीं था, वे थाने करीब 08.30-09.00 पी.एम. पर पहुंचे थे। कार्यवाही के दौरान हल्का अंधेरा हो गया था। गवाह ने यह अस्वीकार किया कि प्रदर्श पी 4 व 11 की फर्द थाने में बैठकर मुर्तिब की हो और थानाधिकारी के अधीनस्थ होने के कारण उनके कहने से थाने में ही हस्ताक्षर किये हो।

24. **गवाह बलवंताराम पी.डब्ल्यू. 11** ने अपनी जिरह में इन सुझावों स्वीकार किया कि मुलजिम इमरान व इरफान के मकान के दस्तावेज देखने का काम नहीं पडा और न ही उनके मकान में जाने का काम पडा, मुलजिमान को जहां पर गिरफ्तार बताया वह पेट्रोल पम्प के पास है। उसे पता नही है कि पेट्रोल पम्प पर कैमरे लगे हो। उनके साथ ड्रग डिटेक्शन किट नहीं था तथा उसके गांजा सूंघने का कोई डिप्लोमा नहीं किया हुआ है। गवाह ने अस्वीकार

किया कि वह मौके पर नहीं हो तथा लावारिस माल को झूठे तौर पर मुलजिमान से जोडकर मुलजिमान को उक्त प्रकरण में फसाया हो।

25. उपरोक्तानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जब्तीकर्ता तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, पाली, गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6 को प्राप्त हुई मुखबिरी सूचना प्रदर्श पी 20 के अनुसरण में मस्तान बाबा के पीछे पेट्रोल पंप के पास वाली गली में इरफान उर्फ राजा के मकान पर पहुंचकर मौके से एक एक थैला लेकर भागे अभियुक्त इरफान उर्फ राजा व इमरान को दस्तयाब कर उन्हें मुखबिरी सूचना एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके अधिकारों से अवगत करवा कर अभियुक्त इरफान के हाथ में लिये थैले की तलाशी लेने पर उसमें पॉलीथीन थैली सहित कुल 01 किलो 600 ग्राम व इमरान के के हाथ में लिये हुए थैले की तलाशी लेने पर उसमें पॉलिथिन थैली सहित 04 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किए जाने की पुष्टि नोटिस अन्तर्गत धारा 50 एनडीपीएस एक्ट एवं फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 2 से 4, 9, 10 एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 से करवायी गयी है तथा अभियुक्तगण को उनके गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देकर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिये जाने की पुष्टि प्रदर्श पी 5 से 8 से करवायी गयी है। उक्त प्रदर्शों को प्रमाणित कराने हेतु जब्ती अधिकारी गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6, स्वतंत्र गवाह नरपतलाल पी.डब्ल्यू. 1 व मोहम्मद याकूब पी.डब्ल्यू. 10 तथा चश्मदीद गवाह राजकुमार पी.डब्ल्यू. 2, जयसिंह पी.डब्ल्यू. 4, पुखसिंह पी.डब्ल्यू. 9 व बलवंताराम पी.डब्ल्यू. 11 की साक्ष्य प्रस्तुत हुई है जिनमें से स्वतंत्र मौतबीरान के अलावा शेष सभी गवाहान द्वारा उक्त प्रदर्शों में वर्णित तथ्यों की समुचित रूप से पुष्टि की गयी है। इन गवाहान से समुचित जिरह करने के बावजूद बचाव पक्ष इनकी साक्ष्य में कोई गंभीर विरोधाभास उजागर करा पाने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र मौतबीरान के पक्षद्रोही हो जाने मात्र से ही अभियोजन मामले पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

26. पुनः उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र मौतबीरान ने मौका कार्यवाही की फर्दात प्रदर्श पी 1 लगायत 11 पर अपने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथापि उक्त फर्दात पर पुलिस द्वारा उनके हस्ताक्षर थाने में कराये जाना कथन किया है और अपने सामने पुलिस द्वारा मुलजिमान से गांजा बरामद किये जाने से इंकार किया है, लेकिन अभिलेख पर यह नहीं दर्शाया गया है कि जब्तीकर्ता थाना प्रभारी अथवा पुलिस जाब्ते की अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान

से किसी प्रकार की पूर्व रंजिश या विद्वेष हो, जिस कारण से पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को इस मामले में झूठा फंसाने का प्रयास किया गया हो, न ही इस आशय के कोई सुझाव बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में किसी गवाह के समक्ष प्रस्तुत किये गये। दूसरी ओर पुलिस जाब्ते के सदस्य उक्त शेष गवाहान द्वारा प्रकरण में अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान के अनन्य आधिपत्य से उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही, जो कि उपरोक्त वर्णित प्रदर्शो में अंकित है, की सम्यक् रूप से पुष्टि की गयी है और बचाव पक्ष इन गवाहान की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं करा सका है जिससे इन गवाहान की विश्वसनीयता और उक्त बरामदगी कार्यवाही की सत्यता पर कोई युक्तियुक्त गंभीर संदेह उत्पन्न हो। अभियुक्तगण द्वारा अपने कथन अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में स्वयं को झूठा फसाया जाना कथन किया गया है, अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया गया है और गवहान पुलिस कर्मी होने के कारण उनके विरूद्ध साक्ष्य देना बताया है, लेकिन अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त अभियोजन गवाहान से की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसे कोई सुझाव और प्रश्न नहीं किये गये हैं जो उक्त पुलिस कर्मीयों की अभियुक्तगण से पूर्व रंजिश अथवा विद्वेष होना उजागर करते हों, न ही अभियुक्तगण की ओर से इस संबंध में अपनी सफाई में किसी प्रकार की मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करायी गयी है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त इरफान उर्फ राजा के सचेतन कब्जे के 01 किलो 600 ग्राम तथा अभियुक्त इमरान के सचेतन कब्जे से 04 किलो 200 ग्राम गांजा अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी की मौका कार्यवाही को साबित कराने में सफल रहना पाया जाता है।

27. प्रकरण में अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान से प्राप्त सूचना के अनुसरण में उक्त गांजा खरीद के स्थान की मौका तस्दीक कार्यवाही की सम्पुष्टि हेतु अनुंसधान अधिकारी बुद्धाराम पी.डब्ल्यू. 13 एवं गवाह कांस्टेबल राजेन्द्रकुमार पी.डब्ल्यू. 8 व गवाह कास्टेबल कंवरलाल पी.डब्ल्यू. 12 न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं जिनकी साक्ष्य का अध्ययन करने पर पाया जाता हैं कि **अनुसंधान अधिकारी बुद्धाराम पी.डब्ल्यू. 13** ने बताया है कि गिरफ्तारशुदा अभियुक्त इरफान उर्फ राजा व इमरान द्वारा दी गयी इतिला क्रमशः प्रदर्श पी 41 व 42 के अनुसरण में अभियुक्तगण की निशादेही से गांजा खरीदस्थल का मौका तस्दीक कर नजरी नक्शा मौका प्रदर्श पी 40 मुर्तिब किया था। अनुसंधान अधिकारी के उक्त कथनों की पुष्टि में गवाह कांस्टेबल राजेन्द्रकुमार पी.डब्ल्यू. 8 व गवाह कास्टेबल कंवरलाल पी.डब्ल्यू. 12 ने

बताया है कि दिनांक 26.06.2018 को अनुसंधान अधिकारी बुद्धाराम ने मुलजिमान इरफान उर्फ राजा व इमरान से प्राप्त इतिला के अनुसरण में उनकी निशादेही से गांजा खरीद स्थल की मौका तस्दीक जरिये फर्द प्रदर्श पी 40 की थी।

28. अब न्यायालय के समक्ष अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त अवैध मादक पदार्थ के नमूने बरामद किये जाने के बाद एफएसएल पहुंचाये जाने तक अक्षुण्ण एवं सही सलामत सीलबंद अवस्था में रहे तथा एफएसएल जाँच में उनमें गांजा होना पाया गया? प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा बरामद किये गये माल एवं नमूनों को मालखाना में जमा करवाये जाने एवं तत्पश्चात नमूनों को जांच हेतु एफएसएल प्रेषित किये जाने संबंधित तथ्यों की पुष्टि हेतु तत्कालीन **मालखाना इंचार्ज हेड कांस्टेबल खेतसिंह पी.डब्ल्यू. 7**, नमूना लेकर जाने वाला **कांस्टेबल राजकुमार पी.डब्ल्यू. 2** तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की रासायनिक शाखा से **अग्रेषण पत्र तैयार करने वाला हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार पी.डब्ल्यू. 3** न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं जिनके द्वारा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 37, रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 13, एफएसएल जांच हेतु पुलिस थाना कोतवाली, पाली से जारी पत्र प्रदर्श पी 14, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15 एवं एफएसएल की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 16 को प्रदर्शित करवाते हुए उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि में कथन किये गये हैं। इन गवाहों से की गयी जिरह में उजागर हुए निम्नलिखित कथनों पर, बचाव पक्ष द्वारा अपनी बहस में विशेष जोर दिया गया है:-

29. **मालखाना प्रभारी खेतसिंह पी.डब्ल्यू. 7** ने जिरह में कथन किया है कि उक्त माल में क्या था वह नहीं बता सकता क्योंकि माल सीलबंद था। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 37 मालखाना रजिस्टर में सीले कितनी थी, इस बाबत इन्द्राज नहीं है तथा मालखाना एफएसएल हेतु सुपुर्द करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है।

30. **गवाह राजकुमार पी.डब्ल्यू. 2** ने जिरह में स्वीकार किया कि प्राप्ति रसीद उसने थाने में जमा करायी थी, इस बाबत मालखाना इंचार्ज ने उसे कोई प्राप्ति नहीं दी थी। वह जयपुर बस से गया तथा जयपुर एफएसएल लेकर गया था, इस बाबत यात्रा वारण्ट पत्रावली पर नहीं है। **गवाह दिनेश कुमार पी.डब्ल्यू. 3** ने जिरह में स्वीकार किया कि सेम्पल सीलबंद पैकेट थे व पैकेटों

को उसने खोलकर नहीं देखा था। उसे जानकारी नहीं है कि उक्त प्रकरण पूर्व में एतराज कर लौटाए गए हो।

31. उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में अवैध मादक पदार्थ एवं नमूनों को सीलबंद करने में प्रयोग में ली गयी सील (मुद्रा) बाद मौका कार्यवाही नष्ट की गयी है तथा फर्द नमूना एवं नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 26 मुर्तिब की गयी है तथा मौके पर सीलबंद किये गये मादक पदार्थ एवं उसके नमूना सेम्पल मार्क S व मार्क S1 में किसी प्रकार की छेड़छाड़ किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लायी गयी है, न ही अभियोजन गवाहान की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई संभावना उजागर करायी गयी है, बल्कि प्रदर्श पी 38 राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर की प्राप्ति रसीद के अनुसार उक्त नमूना सेम्पल सीलबंद अवस्था में एफएसएल में जमा होना प्रमाणित हुआ है तथा परीक्षण के परिणामस्वरूप उक्त नमूनों में गांजा पाया जाना प्रमाणित हुआ है।

32. उपरोक्त के अलावा **तत्कालीन थानाधिकारी रविन्द्रसिंह पी.डब्ल्यू. 14** ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 25.04.2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 पाली द्वारा इन्वेन्ट्री कार्यवाही की गयी थी जिसकी इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी 43 है। जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि इन्वेट्री के लिए माल मालखाना से बाहर निकालने व जमा करने की रोजनामचा रपट पत्रावली पर नहीं है तथा बरामदगी व इन्वेट्री के समय माल के वजन में अंतर था। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ की इन्वेन्ट्री के सत्यापन की कार्यवाही धारा 52-ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधान के तहत सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवाई जाकर तत्संबंधी इन्वेट्री सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श पी 43 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है, और प्रकरण में जब्तशुदा मुद्दा माल एवं नमूनों की इन्वेन्ट्री सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श पी 43 के अनुसार उक्त सभी पैकेट्स सीलबंद एवं सुरक्षित हालत में पाये जाने की पुष्टि होती हैं। ऐसी स्थिति में वातावरण से प्राप्त नमी के कारण माल के वजन में मामूली अंतर आ जाने से अभियोजन मामले पर कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता है।

33. अतः उपरोक्त प्रकार से की गयी समग्र विवेचना के अनुसार अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान से बरामद अवैध मादक पदार्थ के नमूने मार्क S व S-1 बरामद किए जाने से रासायनिक जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेषित किये जाने एवं वहां प्राप्त होने तक अक्षुण्ण एवं सही

सलामत सीलबंद अवस्था में रहना एवं रासायनिक जाँच के उपरांत इन नमूनों में अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया जाना अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध समुचित रूप से प्रमाणित कराने में सफल रहना पाया जाता है।

34. **अब न्यायालय के समक्ष अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्रावधानों की पालना की गयी है?**

35. इस तर्क के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की पालना में जब्ती अधिकारी गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6 द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना को तत्काल लेखबद्ध किया गया है जो न्यायालय के समक्ष प्रदर्श पी 20 के रूप में प्रदर्शित करायी गयी है और यह सूचना जरिये प्रदर्श पी 18 उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गयी है जिसकी पुष्टि कांस्टेबल जितेन्द्र पी.डब्ल्यू. 5 द्वारा भी की गयी है। कांस्टेबल जितेन्द्र पी.डब्ल्यू. 5 ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 23.06.2018 को वह पुलिस थाना कोतवाली, पाली में कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी गंगाराम को जरिये मुखबिर सूचना मिली थी जो थानाधिकारी द्वारा 3.00 पी.एम. पर उसे देकर वृत्ताधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करने के लिए रवाना किया गया था। गवाह ने प्रदर्श पी 18 पर वृत्ताधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है।

36. प्रकरण में धारा 57 एनडीपीएस एक्ट के तहत तथ्यात्मक रिपोर्ट बतौर प्रदर्श पी 30 न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करायी गयी है जिसकी पुष्टि न केवल जब्ती अधिकारी गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6 द्वारा की गयी है, बल्कि गवाह जितेन्द्र पी.डब्ल्यू. 5 भी परीक्षित हुआ है जिसने बताया है कि दिनांक 24.06.2018 को प्रातः करीब 10 बजे इस प्रकरण की धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना वृत्ताधिकारी व पुलिस अधीक्षक को देकर प्राप्त रसीद प्रदर्श पी 19 प्राप्त की थी। इस गवाह से बचाव पक्ष द्वारा समुचित जिरह की गयी है, लेकिन गवाह की जिरह में ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं हुआ है जिससे उसकी मुख्य परीक्षा पर संदेह हो। अतः बचाव पक्ष के इन तर्को की पुष्टि नहीं होती है कि इस प्रकरण में थानाधिकारी द्वारा धारा 42 एवं 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधाानों की पालना नहीं की गयी है।

37. धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की सम्यक् पालना नहीं किये जाने

संबंधी तर्क के विषय भी यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बलदेवासिंह (1996) 6 एस.सी.सी. 172** के मामले में संविधान पीठ द्वारा पारित निर्णय तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार 2005(4) एस.सी.सी. 350** के मामले में तीन न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार जहां अवैध मादक पदार्थ अभियुक्त की जामा तलाशी से बरामद नहीं हुए हो, बल्कि अभियुक्त द्वारा पकड़े हुए किसी बैग, वस्तु अथवा पात्र आदि से बरामद हुए हो, वहां धारा 50 के प्रावधान लागू नहीं होते है। उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट जाहिर होता है कि इस प्रकरण में अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान की जामा तलाशी में नहीं हुई है, बल्कि उनके द्वारा पकड़े हुए थैलों से हुई हैं तथापि धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत नोटिस प्रदर्श पी 2 व 3 भी अभियुक्तगण को दिये गये हैं। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क में कोई बल नहीं होना पाया जाता है।

38. धारा 52-ए एनडीपीएस एक्ट की सम्यक पालना नहीं किये जाने के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क के विषय में यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में बरामद किये गये अवैध मादक पदार्थ की इन्वेन्ट्री के सत्यापन की कार्यवाही सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवायी गयी है तथा इस कार्यवाही की रिपोर्ट अभिलेख पर मौजूद है और इन्वेन्ट्री के सत्यापन की रिपोर्ट प्रदर्श पी 43 प्रदर्शित करायी गयी है। इस संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमीनल अपील नंबर 201/2019 राजवंतसिंह बनाम हरियाणा राज्य में पारित निर्णय दिनांक** 09.01.2025 एवं **भरत आम्बले बनाम छतीसगढ़ राज्य, 2025 आई,एन.एस.सी. 78** में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की गैर अनुपालना अथवा देरी से की गयी अनुपालना पर न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के प्रतिकूल अवधारणा ली जा सकती है, लेकिन इस संबंध में कोई कठोर एवं सटीक नियम तय नहीं किये जा सकते है कि कब ऐसी प्रतिकूल अवधारणा ली जायेगी, बल्कि यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर होगा। जहाँ इस प्रावधान की अनुपालना में पुलिस द्वारा देरी की गयी हो, वहाँ धारा 54 एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय द्वारा अवैध पदार्थ के आधिपत्य के संबंध में विधिक उपधारणा कायम करना तब तक उचित नहीं होगा, जब तक कि न्यायालय अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्री से अभियुक्त के कब्जे से निषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के तथ्य से संतुष्ट

न हो जाये।

39. हस्तगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पूर्वोक्त विवेचना से यह भलीभांति स्थापित हुआ है कि उक्त मादक पदार्थ अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद किया गया था, अतः धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही में हुई देरी उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अभियोजन पक्ष पर कोई घातक प्रभाव नहीं डालती है तथा धारा 35 एवं 54 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त के विरूद्ध उपधारणा उत्पन्न होती है जिसका कोई खण्ड़न अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया है।

40. धारा 55 एनडीपीएस एक्ट की पालना किये जाने के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा किये गये तर्क के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि धारा 42 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राधिकृत अधिकारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं उक्त धारा 55 एनडीपीएस एक्ट के अनुसार जहाँ जब्ती कार्यवाही की शक्ति संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले थानाधिकारी के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग में ली गयी हो, वहां दूसरा पुलिस अधिकारी जब्त किये गये आर्टिकल्स एवं गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को अविलम्ब क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस थाने के थानाधिकारी को सुपुर्द करेगा और ऐसा थानाधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के लंबित रहने के दौरान ऐसे आर्टिकल्स को अपने भार साधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा ऐसे आर्टिकल्स पर अपनी मुद्रा (सील) लगाने के लिए अनुज्ञात करेगा, किन्तु हस्तगत प्रकरण में पूर्वोक्त विवेचना में यह पाया गया है कि जब्तीकर्ता थानाधिकारी गंगाराम पी.डब्ल्यू. 6 स्वयं इस प्रकरण में उक्त जब्ती कार्यवाही के लिए प्राधिकृत अधिकारी है तथा जब्ती कार्यवाही के स्थान पर क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने का भार-साधक अधिकारी भी वह स्वयं है और उसके द्वारा अपने पुलिस थाना कोतवाली, पाली की सील से रिसील करके उक्त मादक पदार्थ एवं सेम्पल मालखाना में जमा किये गये हैं और धारा 55 एनडीपीएस एक्ट के तहत पृथक से फर्द मुर्तिब कर मालखाने में माल जमा किया गया है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क में भी पर्याप्त बल नहीं होना पाया जाता है।

41. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में उभयपक्षीय तर्को के उपरोक्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहना पाया जाता है कि इस प्रकरण में एनडीपीएस

एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की सारभूत रूप से पालना की गयी है।

42. उपरोक्त प्रकार से किये गये समग्र विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त इरफान उर्फ राजा के सचेतन कब्जे के 01 किलो 600 ग्राम तथा अभियुक्त इमरान के सचेतन कब्जे से 04 किलो 200 ग्राम गांजा, इस प्रकार दोनों अभियुक्तगण से संयुक्त रूप से कुल मिलाकर 05 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी प्रमाणित कराने में सफल रहना पाया जाता है। अतः **अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना पाया जाता है।** फलतः अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

43. अतः **अभियुक्त इरफान उर्फ राजा** पुत्र सलीम, उम्र-28 वर्ष, निवासी- मस्तान बाबा, पुलिस थाना- कोतवाली, पाली (राज.**) तथा अभियुक्त इमरान पुत्र सलीम, उम्र-38 वर्ष, निवासी- मस्तान बाबा, पुलिस थाना कोतवाली, पाली (राज.)** को धारा **8/20 स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस. एक्ट)** के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, पाली
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली)

44. निर्णय आज दिनांक 18.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, पाली
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली)

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

दण्ड के विषय में

45. **अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान** को अपराध अन्तर्गत धारा **8/20 स्वापक औषधियॉ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस. एक्ट)** के अन्तर्गत दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। योग्य अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क हैं कि अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धी की कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण निर्धन परिवार से है, लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं, अतः उनके प्रति नरमी का रूख अपनाया जावें। विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का प्रबल विरोध करते हुए तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावें।

46. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान युवा है और उनके विरूद्ध यद्यपि अन्य कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं है, किन्तु स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, ऐसे अपराध व्यापक रूप से समाज में फैल रहे हैं, जिससे समाज में नशे की प्रवृति एवं दुर्व्यसन को प्रोत्साहन मिलता है अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए **अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान** को विधि में उपबंधित अधिकतम दण्ड से दण्डित नहीं करके उनसे बरामद अवैध मादक पदार्थ की कुल मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आनुपातिक रूप से दण्ड में नरमी बरत कर उन्हें निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता हैं:-

दण्डादेश

1. **अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा पुत्र सलीम, उम्र-28 वर्ष, निवासी- मस्तान बाबा, पुलिस थाना- कोतवाली, पाली (राज.) तथा इमरान पुत्र सलीम, उम्र-38 वर्ष, निवासी- मस्तान बाबा, पुलिस थाना कोतवाली, पाली (राज.)** को अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधियॉ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में दोषसिद्धि के लिये **अभियुक्तगण इमरान उर्फ राजा व इमरान प्रत्येक को 03 (तीन) वर्ष 06 (छह) माह- 03 (तीन) वर्ष 06 (छह) माह के**

कठोर कारावास एवं 30,000/- 30,000/- (अक्षरे तीस तीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदयगी अर्थदण्ड अभियुक्तगण प्रत्येक **03 (तीन)-03 (तीन) माह का कठोर कारावास** अतिरिक्त रूप से भुगतेगे।।

2. अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान द्वारा **पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा** में व्यतीत की गई अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावें।

3. उक्त प्रकरण में जब्त किये गये वजह सबूत गांजा के संबंध में धारा 52-क एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही की जा चुकी है। प्रकरण में बरामद किये गये वजह सबूत गांजा के जांच हेतु सेम्पल व कण्ट्रोल सेम्पल बाद गुजरने मियाद अपील यदि अपील नहीं होती है तब विधि अनुसार निस्तारण हेतु और यदि अपील होती है तब अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारण हेतु तहरीर जारी की जावे।

4. **अभियुक्तगण इरफान उर्फ राजा व इमरान** के सजा वारण्ट बनाये जावें। अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क दिलवाई जावें।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, पाली
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली)

47. दण्डादेश आज दिनांक 18.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, पाली
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली)

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.18 17:56:52 IST